संचिका संख्या–01/स्था०राज०–346/2025– 29

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 07 जनवरी, 2026

विषय :– **श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना का पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि दिनांक–07.07.2025 से 26.07.2025 तक का सेवा विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–3209 दिनांक–30.06.2025 क्रमांक–72 द्वारा श्री संजय कुमार, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, पश्चिम चम्पारण की सेवा गन्ना उद्योग विभाग में प्राप्त हुइ। उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में पूर्व पद सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, जमुई का प्रभार श्री कुमार द्वारा दिनांक–07.07.2025 के पूर्वाह्न में सौंपा गया। श्री कुमार द्वारा दिनांक–07.07.2025 के पूर्वाह्न में गन्ना उद्योग विभाग में पदस्थापन हेतु योगदान समर्पित किया गया। विभागीय आदेश संख्या–940 दिनांक–09.07.2025 के क्रमांक–07 के द्वारा श्री कुमार को तत्काल कार्य करने के लिए ईख प्रसार पदाधिकारी, बेतिया के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया जिसके आलोक में वे बेतिया में दिनांक–11.07.2025 के पूर्वाह्न में योगदान कर बेतिया में दिनांक–11.07.2025 से दिनांक–25.07.2025 तक कार्यरत रहे।

विभागीय अधिसूचना संख्या–1035 दिनांक–22.07.2025 के क्रमांक 9 के द्वारा श्री कुमार को सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया जिसके आलोक में श्री संजय कुमार के द्वारा सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना का प्रभार दिनांक–26.07.2025 के अपराह्न में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार पदस्थापन की प्रतीक्षा में प्रभार रहित अवधि दिनांक–07.07.2025 से 26.07.2025 तक है।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 दिनांक–26.12.2003 के आलोक में श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना का दिनांक–07.07.2025 से 26.07.2025 तक की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को निम्न प्रकार विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i) दिनांक–07.07.2025 से 09.07.2025 तक 3 (तीन) दिन पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा के रूप में।

(ii) दिनांक–10.07.2025 तक 1 (एक) दिन पारगमन काल के रूप में।

(iii) दिनांक–11.07.2025 से 25.07.2025 तक 15 (पन्द्रह) दिन कार्यरत अवधि के रूप में।

2. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
06/01/26
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०राज०–346/2025– 29 **/पटना, दिनांक–** 7 **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप सचिव, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/01/26
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०राज०–346/2025– 29 **/पटना, दिनांक–** 07 **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपि– श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना/श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/01/26
अवर सचिव।

Rajesh Ji Letter